न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हिम्मतसिंह बनाम शांतिदेवी वगैरह
किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र बाजदायरी
प्रकरण संख्या 519/2025 (मसूदा)

प्राप्त/ पत्रावली 10/11/25

श्री दिलीपसिंह राठौड

हिम्मतसिंह बनाम शांति वगैरह (2025/519)

10.11.2025

यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री दिलीपसिंह राठौड एडवोकेट ने हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 को अपील अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किये जाने से पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी बावत निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत होने पर सुनवाई के समय अभिभाषक महोदय, अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। तत्पश्चात न्यायालय में उपस्थित होने पर अपीलार्थी के अभिभाषक को सूचित किया गया कि प्रार्थी को आवाज लगाना वर्णित करते हुए अपील अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थी की अनुपस्थिति का कारण प्रार्थी का अपने अभिभाषक पर निर्भर होना रहा जो सद्भाविक कारण है तथा प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु नियत किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्त उनवानी प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 06.11.2025 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्किल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner